an>

Title: Regarding sharing of water between Punjab and Rajasthan under Yamuna Link Agreement.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति जी, जो वहां पंजाब से नहर चलती है और उस नहर के तहत एक समझौता सतलुज-यमुना लिंक का हुआ था। भाखड़ा व्यास बांध का एक मंडल बना था, परंतु यह जो नहर आ रही है, चारों जिलों के अंदर पश्चिम राजस्थान में शीतल योजनाओं के साथ पेयजल योजना को भी पानी सप्लाई करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ अर्सों से पंजाब सरकार वहां पानी नहीं दे रही है। जो समझौता सतलुज-यमुना लिंक का हुआ है, जैसे आज की स्थिति वहां ऐसी है कि बॉर्डर एरिया, जहां पर बी.एस.एफ. है, आर्मी है, एयर फोर्स है, उनको भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दस-दस कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। इसके कारण किसान भी बहुत दुखी हैं और वे आत्महत्या करने के कगार पर आ गये हैं। मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि पंजाब सरकार को बाध्य करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वे पानी दें। इसके सिवाय जो वहां पर भाखड़ा व्यास मंडल है, उसके अंदर राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए इसमें एक सदस्य को लगाया जाए ताकि वह सुचारू रूप से वहां पर मोनीटरिंग कर सके।

माननीय सभापति :

श्रीळ भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री निहाल चंद और

श्री सुमेधानन्द सरस्वती को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।